भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4282

19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: नकली कृषिगत आदान

4282. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नकली बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों और कृषिगत आदानों के प्रसार को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या नकली कृषिगत आदानों के कारण अपनी आजीविका गंवाने वाले अथवा कम फसल उपज वाले किसानों को कोई मुआवजा प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अनुपयोगी हो चुके बीजों, निम्न गुणवत्ता वाले बीजों और हानिकारक रंगों से लेपित और कैंसरजनक रसायनों से उपचारित बीजों की बिक्री को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, कीटनाशक और उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम, 1968, बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985, कीटनाशी अधिनियम, 1968 और कीटनाशी नियम, 1971 आदि में विभिन्न प्रावधान उपलब्ध हैं। उपर्युक्त कानूनों ने राज्य सरकारों को कृषि इनपुट्स की गुणवत्ता की जांच करने और देश में नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगाने का अधिकार दिया है।

राज्य सरकारें अपने राज्यों में बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकों की नियुक्ति करती हैं। इन निरीक्षकों को सैंपल्स लेने और गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजने का अधिकार है। यदि बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों के सैंपल्स नकली/अवमानक पाए जाते हैं तो बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों से संबंधित अधिनियमों और नियमों के संगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

नकली कृषि इनपुट्स के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसान आपूर्तिकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं आदि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए निरीक्षक के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि कृषि इनपुट्स नकली/अवमानक पाए जाते हैं तो निरीक्षक डीलर का लाइसेंस रद्द करना, स्टॉक

जब्त करना, चेतावनी जारी करना, 'बिक्री रोकने' का आदेश जारी करना और अदालत में मामला दर्ज करना आदि जैसी दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है ।

उपज में कमी और किसानों की आय में होने वाली हानि कई कारकों का परिणाम है, जिनमें बीज की गुणवत्ता, मौसम में व्यवधान, मिट्टी का स्वास्थ्य, कीट और रोग संक्रमण के लिए अपनाई गईं पद्धतियाँ आदि शामिल हैं। हालांकि, सरकार ने बीज की गुणवत्ता के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए सहायता प्रदान कर किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। देश में 178 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं और 25 राज्य बीज प्रमाणन एजेंसियां विभिन्न राज्य सरकारों की देखरेख और नियंत्रण में कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के कई निगम और एजेंसियां गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में शामिल हैं। साथ ही, सरकार फसल नुकसान के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी कार्यान्वित करती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और राज्य कृषि विभाग के ठोस प्रयासों और कृषि क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, बदलते मौसम के पैटर्न के बावजूद वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन 297.50 मिलियन टन से बढ़कर 353.96 मिलियन टन हो गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार समय-समय पर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्शिका जारी करती है ताकि मौजूदा कानूनी ढांचे का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और निर्माता के परिसरों और भंडारण, डीलरों/खुदरा विक्रेताओं के बिक्री बिंदु पर निगरानी बढ़ाई जा सके जिसके परिणामस्वरूप नकली बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों की बिक्री की जांच की जा सके, ताकि देश में किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट्स की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

बीज अधिनियम और नियमों के अनुसार, किसानों को केवल बीज की वैधता अवधि के भीतर ही उनकी बिक्री की अनुमति है। बीज निरीक्षकों द्वारा, यदि कोई निम्न गुणवत्ता वाले बीज या एक्पायरी डेट के बीज, हानिकारक रंगों से लेपित बीज, कैंसरकारी रसायनों से उपचारित बीज आदि पाए जाते हैं तो संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चेतावनी जारी करने, बिक्री रोकने का आदेश देने, स्टॉक जब्त करने और अदालत में मामला दर्ज करने जैसी उचित कार्रवाई की जाती है।

*****